बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक- फ०बी०यो०-2-14/2012/ 1005 /पटना, दिनांक-11 जून, 2013

प्रेषक,

विजय प्रकाश,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

विषय:- ASV के चयन हेतु उत्तीर्ण आवेदकों को कार्य आवंटित करने के संबंध में दिशा-निदेश ।

प्रसंग:- निदेशालय का पत्रांक-489 दिनांक-26.03.2013 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के क्रम में कहना है कि अनेक जिलों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि दिनांक-11.11.2012 एवं 21.04.2013 को आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदक को कार्य आवंटित करने में मनमानी एवं पक्षपातपूर्ण रवैया जिला/प्रखंड स्तर पर अपनाया जा रहा है जिससे अनेक ASV कार्य आवंटन से वंचित हो गये है। यह स्थिति दुखद है। अतएव इस संबंध में निम्नवत् निदेश है:-

1. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अपने जिला का पासवर्ड पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है। वे पासवर्ड से अपने जिला का Website खोलकर प्रखंडवार वरीयताक्रमानुसार उत्तीर्ण सूची को देखेगें । उत्तीर्ण सूची दोनो परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों की समेकित सूची है। दोनो परीक्षा में उत्तीर्ण ASV को पैनल के वरीयता क्रमानुसार से कार्य (कृषि सांख्यिकी, आर्थिक गणना एवं अन्यान्य सांख्यिकी) आवंटन हेतु SMS अथवा वैकल्पिक साधन से आमंत्रित करेंगे। कार्य आवंटन के पूर्व उनके आवदेन पत्र में अंकित सूचनाओं का उनके द्वारा समर्पित साक्ष्यों एवं अभिलेखों से सत्यापन करेंगे। यदि Online आवेदन के आधार पर प्रदत्त अंक (Point) में किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है तो वैसी स्थिति में सत्यापन के उपरान्त प्राप्त अंक के आधार पर उनका वरीयता क्रम का पुनर्निर्धारण कर उन्हें कार्य आंवटित करेंगे। SMS/वैकल्पिक साधन से सूचना दिये जाने के बाद भी यदि संबंधित आवेदक अनुपस्थित रहता है तो वैसी स्थिति में क्रमानुसार निम्न वरीयता वाले आवेदक को आमंत्रित किया जा सकेगा। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी पैनल के निम्न वरीयता वाले आवेदक को आमंत्रित करने के पूर्व उपर के वरीयता वाले आवेदकों को SMS/वैकल्पिक साधन से सूचना प्रेषित करने का साक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेंगे।इस निदेश का उल्लंघन/अवहेलना को गंभीरता से लिया जायगा ।

2. अनेक आवेदकों द्वारा Online आवेदन में नाम, उपनाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि, लिंग, प्राप्तांक आदि के गलत प्रविष्टि हो जाने के संबंध में सूचना दी जा रही है। इस संबंध में आवेदकों से वांछित कागजात प्राप्त कर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर त्रुटियों का निराकरण करने हेतु जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है। वे अपने स्तर से त्रुटियों का निराकरण करते हुए तत्संबंधी सूचना संकलित कर निदेशालय को भेजेगें । इस संबंध में निदेशालय के पत्रांक-489 दिनांक-26.03.2013 द्वारा निर्गत निदेश की कंडिका-3 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन

(विजय प्रकाश)
प्रधान सचिव ।

649 Sanju 5-6-13

ज्ञापांक- फ०बी०यो०-2-14/2012/ 1005/पटना, दिनांक-11 जून, 2013

प्रतिलिपि:-

1. सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त निदेशक(आर्थिक गणना), मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, पटना को निदेशालय के पत्रांक-489 दिनांक-26.03.2013 की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।
4. सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०प्रबंधक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित । उन्हें निदेश है कि इसे निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करेगें ।

10.6.13

संयुक्त निदेशक
-सह-
कार्यालय प्रधान ।

05/6/13

649 Sanju 5-6-13